

कार्यालय - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ आदेश ॥

क्रमांक / 707/A/दो-11-12/06

बड़वानी, दिनांक 14/08/2025

प्रशासकीय कार्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये इस स्थापना पर पदस्थ निम्नलिखित तीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक निम्नानुसार स्थानांतरण किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पद एवं पदस्थापना	स्थानांतरण पश्चात् पद एवं पदस्थापना	रिमार्क
01	श्री गणेश जायसवाल रीडर ग्रेड-2	प्रवर्तन लिपिक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (सुश्री राजश्री भार्गव)	साक्ष्य लेखक द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड (श्री महेन्द्रसिंह रावत)	श्री जगदीश वास्केल के स्थान पर
02	श्री जगदीश वास्केल सहायक ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड (श्री महेन्द्रसिंह रावत)	साक्ष्य लेखक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (सुश्री राजश्री भार्गव)	श्री प्रकाश कनोजे के स्थान पर
03	श्री प्रकाश कनोजे सहायक ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (सुश्री राजश्री भार्गव)	प्रवर्तन लिपिक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (सुश्री राजश्री भार्गव)	श्री गणेश जायसवाल के स्थान पर
04	श्री ब्रजेश निगवाल सहायक ग्रेड-3	डाटा इंट्री क्लर्क फाइलिंग काउंटर तहसील न्यायालय अंजड	आसंजित लेखा अनुभाग, बड़वानी	-

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

नोट - (1) श्री राजेश वर्मा वाहन चालक, विशेष न्यायालय बड़वानी एवं श्री भूमित्र भार्गव, वाहन चालक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी अपने पीठासीन अधिकारी को कर्तव्य स्थल पर छोड़ने के उपरान्त अभिलेखागार अनुभाग में कार्य संपादित करेंगे।

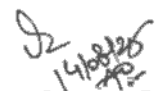
(महेन्द्र कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

✓ बड़वानी म.प्र.

प्रतिलिपि :- आदेशानुसार ।

- (1) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बड़वानी ।
- (2) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बड़वानी ।
- (3) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (4) प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, तहसील न्यायालय अंजड ।
- (5) शीघ्रलेखक, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वानी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (6) संबंधित कर्मचारी श्री.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (7) लेखापाल / वेतन लिपिक, जिला न्यायालय बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


प्रशासनिक अधिकारी

कार्या.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बड़वानी म.प्र.